

अवेरसिंह

बनाम

शमशेरुप पंजाब

रिलीवर

नं.

54/16

सन्.

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुकम की तामीलमेंजारीहुए ।
1/18	वकील फरीकेन इफ्तखार युवाइडुला (वालि कलेक्टर) दि 01/12/18 को केस है। P.Y.	
2/18	वकील फरीकेन इफ्तखार बहाल सुनी कड़ी फत्रावली कलेक्टर शिवगंज दि 07/3/18 को केस है। P.Y.	
7/3/18	वकील फरीकेन इफ्तखार बहाल इमामपुत्रिका (1) पर भ्रतन शिवा रामा तथा फत्रावली का अवे लोकन शिवा रामा। फत्रावली में लालन जमाबंदी संख्या 2057-70 के अनुसार शिवाशित भूमि के बडीगण सहकोहेका रजिस्ट्री है। अब फत्रावली के लालन जमा शिवाशित 7/3/18 को ही शिवाशित आयोजीमत पर अलमारी शिवाशित गार्डनला देलाजारी की जा चुकी है। जहिसे (अध्यायीगण) का शिवाशित आयोजीमत में कोई हेल्सा-रजिस्ट्री नहीं है। इसलिये अध्यायीगण द्वारा भूमि को इन्फा-उन्फा (केचाना/रहन/रहान) शिवा जाना संभव नहीं है। शिवाशित यह जोहिए होता है कि जहिसे/अध्यायीगण यह भूमि का स्वरूप परिवर्तित करके (निर्माणा अथवा धारण) कुछ-कुछ कर रहे हैं। मा शिवाशित की संभावना है फत्रावली में इस प्रकार का कोई साइद या कथन अलमारी शिवाशित → शिवाशित →	
	P.Y.	

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स

नहीं है।

कच्चे काष्ठ के अवयवों के बंधन  
 प्रकृत करने के मामले में धारा 447  
 IPC के तहत न्यायालय सिविल न्यायाधीश  
 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सपोटेरा ने  
 अपने निर्णय दिनांक 22/11/17 को  
 उच्च/अध्याय/गण को 10-10 हजार के  
 जमानत मुचलकों पर अमानत की पुनः प्रकृति  
 नहीं करने तथा जारी रखने हेतु  
 टीम माल के लिए पारदर्शिता हेतु  
 निम्नके अवयव करने पर अध्याय/गण  
 अध्याय/गण के सिद्ध सिविल न्यायालय  
 से कठोर कार्यवाही करा जा रही है।

अतः अथर्व विवाह के  
 अनुष्ठान पर उक्त प्रकार से विवाह मंत्र  
 पर रिलीफ प्रकृति किया जाना  
 उचित नहीं है, केवल अनुष्ठान  
 या अनुष्ठान ही पर्याप्त है। उक्त  
 पत्र अध्याय/गण भागत प्रकृति रिलीफ  
 खातिर किया जाता है निर्णय लेने के  
 लिये न्यायालय को उक्त माल प्रकृति  
 केस प्रकृति लेना है।

Rip

उप जिला कलेक्टर  
सपोटेरा, जिला-करौली